

दिनांक // लखनऊ // दिसम्बर, 0 | 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक/कारपोरेट सेल)  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या 799 दिनांक 24.11.2016 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा पैन अपडेशन के कार्य हेतु विचार-विमर्श करने एवं त्रुटियों के निराकरण करने के सम्बन्ध में प्रत्येक जोन के 02 कर निर्धारण कार्यालय के अधिकारियों की बैठक दिनांक 28-11-2016 को आयोजित की गयी थी तथा यह भी निर्देश दिये गये थे कि पैन अपडेशन की कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 05-12-2016 तक पूर्ण कर ली जाए। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी पत्र/परिपत्र का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रस्तावित जी0एस0टी0 व्यवस्था हेतु विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के पैन अपडेशन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

2- उक्त बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अधिकांश अधिकारियों द्वारा Slightly mismatch पैन तथा अन्य छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण इस तरह के अधिसंख्य पैन को Non verify कर दिया गया है जिसके कारण Non Verified PAN की संख्या अत्यधिक प्रदर्शित हो रही है। इस सम्बन्ध में Non Verified PAN की सूची को पुनः सम्बंधित अधिकारी की Login पर उपलब्ध करा दिया गया है जिससे अधिकारियों द्वारा Reverification के माध्यम से ऐसे पैन को Verify किया जा सकता है व इससे पैन अपडेशन की पेन्डिंग का त्वरित रूप से निस्तारण हो सकता है। अधिकारियों के Login पर Code of Reasons of Non Verifications के परिवर्तन का Option भी उपलब्ध कराया गया है। इस हेतु प्रक्रिया निम्नवत प्रस्तावित है :-

(a) व्यास सेन्ट्रल में " Eyeball checking as per NSDL PAN data" के वेब पेज पर " Reverifying non verified PAN" का पृथक से Radio button उपलब्ध होगा।

(b) इस Radio button पर click करने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा Non verified PAN की Grid form में सूची उपलब्ध हो जायेगी जिसमें प्रत्येक Row के अन्त में Reverifying का option उपलब्ध होगा।

(c) Reverifying option को click करने पर अधिकारी द्वारा Non verified PAN को verify किया जायेगा तथा Non verification के पूर्व में अंकित कारणों को भी परिवर्तित किया जा सकेगा।

(d) इस प्रक्रिया में TIN enter करने का भी option उपलब्ध होगा जिसके द्वारा single TIN का भी अलग से PAN verify किया जा सकेगा।

(e) पूर्व में जिन PAN को Non Verified चिन्हित किया गया था उनमें से निम्न प्रकार के PAN को verified PAN माना जाये :-

(1) जिन PAN में स्वामी फर्म अथवा फर्म के नाम में मात्र spelling तथा capital एवं small letter की भिन्नता है।


(2) जहाँ dealer Name में फर्म के नाम के स्थान पर स्वामी या साक्षीदार का नाम प्रदर्शित हो रहा है।

(3) कम्पनियों के मामलों में विभाग के database में जहाँ dealer Name में अधिकृत प्रतिनिधि / डायरेक्टर का नाम अंकित किया गया है।

(4) जहाँ M/S, सर्वश्री, श्री आदि अंकित होने के कारण भिन्नता आ रही है।

3- PAN updation के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों के बावजूद PAN updation का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। GSTN द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग का डाटाबेस Migration का कार्य दिनांक 16-12-2016 से 31-12-2016 तक किया जायेगा। अतः निर्देश दिये जाते कि PAN updation की कार्यवाही उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप सम्पादित करते हुए प्रत्येक दशा में दिनांक 05-12-2016 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित की जाए। इस सम्बन्ध में अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।



(मुकेश कुमार मिश्रा)

कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।